अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0..... सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3
	न्यायालय उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0– 153/2014 अपीलार्थी – भोली यादव बनाम रेस्पोण्डेन्ट – राज्य सरकार **आदेश** प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 1447 दिनांक 27.09.2013 के विरूद्ध हस्तांतरित होकर इस न्यायालय में दायर किया गया है। इस अपीलवाद में आरोप/शिकायत यह है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल ने दिनांक 02.03.2012 को 12:30 बजे दिन में हरिजन टोला निर्मली परियोजना सुपौल के आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या –03 ग्राम पंचायत – धुरन का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में केन्द्र पर निम्न अनियमितताऐं पायी गई । (i) केन्द्र पर निरीक्षी पदाधिकारी के उपस्थिति रहने तक मात्र 13 बच्चें की उपस्थिति (ii) केन्द्र पर पोषाहार बनाने की कोई तैयारी नहीं थी	

(iii) केन्द्र पर आवश्यक पंजियाँ उपलब्ध नहीं पायी गई

(iv) सेविका केन्द्र पर कोई कार्य नहीं कर रही थी

(v) केन्द्र प्रायः बंद जैसा प्रतीत हुआ।

उक्त अनियमितता के लिए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के ज्ञापांक 302 दिनांक 03.03.2012 द्वारा दिनांक 21.03.2012 को सुनवाई की तिथि निर्धारित करते हुए केन्द्र की सेविका श्रीमती भोली यादव को स्पष्टीकरण के साथ उपस्थित होने के सूचना निर्गत की गई । सुनवाई के दौरान कोई संतोषजनक उत्तर नहीं पाये जाने पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के ज्ञापांक 414 दिनांक 30.03.2012 द्वारा केन्द्र की सेविका श्रीमती भोली यादव का चयन रद्द करते हुए प्रश्नगत केन्द्र पर संधारित पूरक पोषाहार पंजी एवं टी0एच0आर0 पंजी में नामांकित लाभार्थियों का परियोजना के दुसरे सेक्टर की महिला पर्यवेक्षिका को प्रतिनियुक्ति कर भौतिक सत्यापन कर गलत वितरण दिखाए गए खाधान्न की मात्रा की समतुल्य राशि की वसुली करें ऐसा आदेश पारित किया ।

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के उक्त अंकित आदेश के विरूद्ध चयन मुक्त सेविका श्रीमती भोली यादव ने जिला पदाधिकारी सुपौल के न्यायालय अपीलवाद सं0– 17/2012 में दिनांक 25.04.2012 को अपील दायर किया जिससे 12.06.2012 को सुनवाई स्वीकार करते हुए 26.06.2012 को सुनवाई की गई । सुनवाई के क्रम में अपीलार्थी द्वारा कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया। सुनवाई के क्रम में मौजूद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल ने अपने आदेश को सही ठहराया । जिला पदाधिकारी सुपौल ने भी अपने ज्ञापांक 1107 दिनांक 28.07.2012 द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के आदेश को सही ठहराते हुए अपीलवाद को खारिज करते हुए यह बताया कि अपीलार्थी भोली यादव द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप केन्द्र का संचालन नहीं किया गया है तथा केन्द्र संचालन में लापरवाही बरती गई है। एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के आदेश को सही करार दिया। यानी आदेश ज्ञापांक 414 दिनांक 30.3.2012 द्वारा निर्गत आदेश को संपुष्ट किया जाता है।

अपीलार्थी ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय बिहार पटना में C.W.J.C.No- 3377/2013 याचिका दायर किया जिसमें सुनवाई

पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 21.02.2013 को जिला पदाधिकारी सुपौल एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल दोनों के आदेश को निरस्त करते हुए कारण पृच्छा, जबाव को पुनः विचार करते हुए नियमानुसार Fresh order पारित करने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने दिया ।

माननीय उच्च न्यायालय बिहार पटना द्वारा C.W.J.C.No- 3377/2013 में दिए गए निर्देश के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के यहाँ अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर पुनः सुनवाई दिनांक 08.06.2013 को की गई, एवं पत्रांक 1447 दिनांक 27.09.2013 द्वारा चयन मुक्ति आदेश को पुनः बरकरार (पारित) किया गया।

इस अपीलवाद की सुनवाई इस न्यायालय में की गई, जिसमें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता व सरकारी अधिवक्ता ने सुनवाई में भाग लिए, एवं अपना –अपना पक्ष कागजात एवं साक्ष्य प्रस्तुत किए।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए इस न्यायालय को बताया कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का आदेश चयन मुक्ति कितना गंभीर व त्रुटिपूर्ण आदेश है, जो बतलाता है कि इसमें Routine manner के तहत निर्णय लिया गया, Judicial mind का उपयोग तनिक भी नहीं किया गया है, Spirit of Law का Violation हुआ है। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल का चयन मुक्ति आदेश पत्रांक 1447 दिनांक 27.09.2013 अपीलार्थी (सेविका) को दिनांक 07.12.2013 को हस्तगत करवाया गया है, जो अपर समाहर्त्ता, सुपौल (आपदा प्रबंधन) सुपौल के पत्रांक 1510–2 /आ0 प्र0 दिनांक 28.11.2013 से स्पष्ट है चूँकि 28.11.2013 तक पत्रांक 1447 दिनांक 27.09.2013 का पत्र हस्तगत नहीं कराने का स्पष्ट उल्लेख है। (अपर समाहर्त्ता का पत्र अवलोकन कराया गया)

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बतलाया कि अपीलार्थी (सेविका) से जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल एवं उनके कार्यालय द्वारा नाजायज राशि की वसुली के लिए बारम्बार दवाब बनाना, अन्यथा चयन मुक्ति आदेश पारित करने संबंधी

शिकायत पर अपर समाहर्त्ता, सुपौल ने जाँच में शिकायत को सही पाया। (पत्रांक 1510–2 आ0प्र0 दिनांक 28.11.2013 में उल्लेखित) अवलोकनार्थ।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि निरीक्षण तिथि को केन्द्र पर कम बच्चों की उपस्थिति जिसकी संख्या 13 था, उसका स्पष्ट कारण था कि बगल के अष्टयाम चल रहा था, उत्सुकतावश छोटे बच्चें अष्टयाम देखने चले गए तथा केन्द्र भवन आपसी भाई–भाई में बंटवारे के कारण स्थानान्तरण के होने से भी कम बच्चें उपस्थित हुए ।

उन्होंने यह भी बताया कि केन्द्र की सहायिका गर्भवती होने से अनुपस्थित थी, तथा उसे उसी दिन बच्चा पैदा हुआ था, तथा सहायिका की अनुपस्थिति में भी सेविका स्कूल पूर्व शिक्षा के बाद पोषाहार बनाकर खिलाई है जो लाभुक वर्ग के माता – पिता /अभिभावक के बयान से देखा जा सकता है। (लाभुक वर्ग का बयान अवलोकन कराया गया)

इसके साथ ही अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि केन्द्र भवन जर्जर होने तथा महत्वपूर्ण केन्द्र की पंजी चोरी होने के डर से प्रतिदिन घर से लाना –पहुँचाना होता है, और निरीक्षण दिन भाई–भाई में आपसी बंटवारे के कारण भी केन्द्र भवन नये भवन में Shifting के कारण भी अस्त व्यस्त रहा।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि माननीय उच्च न्यायालय पटना के पारित आदेश C.W.J.C.No-3377/2013 के आदेश बावजूद पुनः विचार नहीं कर, वस्तु स्थिति से कोई मतलब नहीं रखा गया एवं बिना किसी प्रकिया के पुनः वही आदेश पारित कर दिया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का आदेश वाह्यजनित कारणों से प्रभावित है , किसी भी लाभुक का कोई बयान उपलब्ध नहीं है। जबकि विभागीय मार्गदर्शिका में स्पष्ट उल्लेख है कि केन्द्र में अनियमितताऐं होने पर पंजीकृत (लाभुकों) के बयान लेना चाहिए जो नहीं लिया गया ।

इस संबंध में सरकारी अधिवक्ता ने भी अपना पक्ष रखते हुए बताया कि अपीलार्थी के अधिवक्ता ने जो अपर समाहर्त्ता के पत्र का हवाला देकर जो बाते बताई है उसमें तनिक भी दम नहीं है, आरोप लगा देने से ही कोई बेईमान नहीं हो जाता है

उसके साथ साक्ष्य, सबूत का रहना भी आवश्यक है, चूँकि सेविका काम के प्रति लापरवाई की है , इस लिए इस प्रकार के आरोप लगा रही है।

उपरोक्त सारे विवेचनाओं, निष्कर्षो के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँची कि निरीक्षण तिथि दिनांक 02.03.2012 को केन्द्र का निरीक्षण हुआ, वह भी 12:30 बजे दिन में। निरीक्षी पदाधिकारी के आने से उनके यहाँ (ढ़ाई घंटा) रहने तक में मात्र 13 लाभुक बच्चें ही आए केन्द्र पर पोषाहार बनाने का कोई साम्रगी न तो कच्चा और न पका हुआ साम्रगी देखा गया कोई भी पंजी उपलब्ध नहीं था उपस्थिति पंजी, स्टॉक पंजी, पोषाहार खाद्य पंजी, व अन्य महत्वपूर्ण पंजी न रहने से संभावना यह भी बनती है कि सेविका द्वारा बाद में घर पर जाकर सही बच्चों की उपस्थिति न दर्ज कर अपने मन से गैर हाजिर लाभुक वर्ग का नाम दर्ज कर पोषाहार राशि को हजम भी करती होगीं ऐसी भी बातें होती होगीं इसे नकारा नहीं जा सकता। उस समय तक स्कूल पूर्व शिक्षा नहीं दिया गया था, उपस्थित सेविका ने बताया कि लाभुक बच्चें बगल के अष्टयाम देखने चले गए है, उन्होंने यह भी बताया कि महत्वपूर्ण पंजी चोरी हो जाने के भय से उसे घर पर रखती हूँ ये सभी बातें सेविका के क्रियाकलाप, कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता लापरवाही को परिलक्षित करता है, अपीलार्थी ने जो लाभुकों के बयान इस न्यायालय को दिखलाए है, वे सभी After thought, अपनी गलती को छिपाने के उदेशय से तैयार किए गए है, इस प्रकार की सेविका से इस समाज/विभाग को क्या फायदा होगा, जो लाभुक बच्चों को न तो समय पर स्कूल पूर्व शिक्षा देती है, और न पूरक पोषाहार बनाकर खिलाती है, लाभुक बच्चों की संख्या भी मात्र 13 था जो इस बात को दर्शाता है कि सेविका/सहायिका दोनों ही काम में रूची नहीं लेती है लाभुक बच्चें तो लोभवश केन्द्र पर आते है, जहाँ वे समझते है कि उन्हें आज मीनू के अनुरूप अच्छा पूरक पोषाहार मिलेगा। समुचित ढ़गं से केन्द्र चलेगा तो लाभुक बच्चें खुद आयेंगे ही, हो सकता है कि कुछ को घर से बुलाना पड़े यह तो सेविका के द्वारा किस प्रकार का केन्द्र संचालित की जाती है इस पर निर्भर करता है। अच्छे कार्य करने में हो सकता है, समय लगें किन्तु सफलता मिलती है। चूँकि सरकार की यह योजना उन्हीं लाभुक कुपोषित/अतिकुपोषित

बच्चों/माताओं के लाभ के लिए बनी है, फिर इसमें कोताही, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लाभुक बच्चों को अष्टयाम में जाना लाभुक बच्चों की उपस्थिति मात्र निरीक्षी पदाधिकारी के रूकने तक 13 होना, एक भी पंजी केन्द्र पर न होना समय से स्कूल पूर्व शिक्षा न देना, पूरक पोषाहार का न बनना, साईन बोर्ड, फ्लैक्सी बोर्ड, लाभुक बच्चों, साम्रगी की सूची प्रदर्शित न करना सेविका की लापरवाही व कर्त्तव्यहीनता को दर्शाता है, अतः विभागीय मार्गदर्शिका पत्रांक 956 दिनांक 14.03.2012 के कंडिका i (ii) (iv) के तहत यह न्यायालय निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 1447/प्रो0 दिनांक 27.09.2013 को यथावत बनाये रखती है। इसमें राहत की गुंजाईश नहीं है।

वाद की समाप्ति की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

17.3.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

17.3.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा